न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र:–76 / 2011

दायर दिनांकः 03.10.2011

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. मूर्ति मंदिर श्री केशवराय जी महाराज स्थान के. पाटन जिला बून्दी जर्ये व्यवस्थापक संरक्षक एवं हितैषी निरीक्षक देवस्थान विभाग बून्दी।

–वादी

बनाम

1. खाना आत्मज रामधन जाति धाकड निवासी बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रतिवादी

वाद–पत्र – अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–

1. वादी के अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।
2. प्रतिवादी के अभिभषक श्री राजेश कुमार राठौर।

निर्णय दिनांक 02.12.2020

संक्षेप में वाद–पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम केशवराय पाटन में मूर्ति केशवराय जी का मंदिर विस्थित है मूर्ति अव्यस्क है तथा उक्त मंदिर राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार का है। इसका प्रबन्धन एवं नियन्त्रण राज्य सरकार के अधीन है। जिसकी देखरेख एवं व्यवस्था राज्य सरकार देवस्थान विभाग के द्वारा की जाती है। इस प्रकार उक्त मूर्ति मंदिर अव्यस्क की देखरेख व कृषि खाते की भूमि आदि की व्यवस्था करना देवस्थान विभाग का कर्तव्य व अधिकार है इस कारण जर्ये निरीक्षक देवस्थान विभाग बून्दी द्वारा यह दावा पेश किया जा रहा है। यह कि वादी मूर्ति मंदिर केशवराय जी महाराज के खातेदारी व स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 948 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां में स्थित है इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। यह कि मूर्ति मंदिर श्री केशवराय जी महाराज नाबालिग है तथा उक्त मंदिर के तेल भोग, पूजा रखरखाव, मरम्मत, धार्मिक उत्सव, नल, विधुत आदि का खर्चा एवं अन्य आयोजन तथा मूर्ति से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं इस पर होने वाले खर्चों का भुगतान देवस्थान विभाग द्वारा ही किया जाता है। किन्तु मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज खातेदारी की उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादी ने अवैद्यानिक रूप से जबरन व गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है। जबकि उक्त कृषि भूमि पर कब्जा बाबत् प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है जबकि वादी खातेदार टिनेन्ट है जिसको अपनी कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है भूमि पर अवैद्यानिक रूप से प्रतिवादी के ट्रेसपासर होने से वादी को आय व लाभ से वंचित होना पड रहा है। जिससे प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति अवयस्क को आर्थिक नुकसान हो रहा है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि से प्रतिवादी को कब्जा छोडने के लिए मौखिक रूप से बार–बार कहने के उपरान्त भी कब्जा वादी मूर्ति को नहीं संभलाया गया है वादी द्वारा अन्तिम बार मौखिक रूप से दिनांक 05.09.2011 को भी निवेदन किया कि उक्त भूमि पर से कब्जा छोड व वादी को संभलाये किन्तु प्रतिवादी द्वारा मना कर दिया। यही वाद का कारण है।

वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी मूर्ति मंदिर केशवराय जी महाराज के खातेदारी व स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 948 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादी मूर्ति को कब्जा संभलाया जावे तथा इस आशय की बेदखली की डिक्री पारित की जावें। वादी ने अपने वाद के समर्थन में देवस्थान विभाग उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ारी विज्ञप्ति, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा द्वारा जारी पत्र, जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पत्र, शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये है।

प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि चरण संख्या 1 अस्वीकार है मन्दिर का वंशवाद पुजारी नाथुलाल आत्मज गोपाल है जो ही वर्षो से सेवा पुजा करता आ रहा है। ग्राम बांमनगांव की समस्त भूमि की देखरेख, व्यवस्था नाथुलाल ही करता आ रहा है। नाथुलाल को पक्षकार नहीं बनाने के कारण प्रस्तुत वाद खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी ने वाद पत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार तथा 3 लगायत 6 अस्वीकार किया है। प्रतिवादी ने अपने जवाब के समर्थन में नकल असल लेख दिनांक 23.04.2012, नकल असल देवस्थान, नकल असल लीज दिनांक 13.03.2010, नकल असल सूची दिनांक 13.04.2010, नकल असल प्रमाण पत्र दिनांक 08.02.2007 आदि पेश किये है।

हमने वाद–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब वाद–पत्र एवं बयान गवाहान का अवलोकन किया। वाद–पत्र पर बहस सुनी गई। वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां की कृषि भूमि खसरा संख्या 948 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा पर से प्रतिवादी को बेदखल कर मूर्ति को कब्जा संभलाया जाने हेतु तहसीलदार नैनवॉ को आदेश दिये जाते है। डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested

E/Feshla 2019

Scanned with CamScanner